

गुरु छासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.07.2014 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.07.2014 को दोपहर 12:00 बजे प्रशासनिक भवन में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

01.	डॉ० एम.एस.के. खोखर, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो० ए.के. सक्सेना	सदस्य
03.	प्रो० प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
04.	प्रो० एस.के. चतुर्वेदी	सदस्य
05.	प्रो० जी.के. पात्रा	सदस्य
06.	प्रो० एल.पी. पटैरिया	सदस्य
07.	प्रो० शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
08.	प्रो० धी.एस. राठौड़	सदस्य
09.	डॉ० मनीष श्रीवास्तव	सदस्य
10.	डॉ० अनुपमा सक्सेना	सदस्य
11.	डॉ० भारती अहिरवार	सदस्य
12.	प्रो० एस.वी.एस. चौहान	सदस्य
13.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	विशेष आमंत्रित
14.	प्रो० आई.डी. तिवारी, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

बैठक के प्रारंभ में कुलपति जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् बैठक प्रारम्भ हुई।

विषय क्र.-01. विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.04.2014 के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार करना।

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.04.2014 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की जाय।


विषय क्र.-02. परियोजना कार्य (Project Work), लघुशोध प्रबंध (Dissertation) का मूल्यांकन।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अंकित किया कि विश्वविद्यालय में प्रचलित अध्यादेश के अनुसार विश्वविद्यालयीन रामरत परीक्षाओं में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक) आंतरिक मूल्यांकन पद्धति लागू की गयी है। परियोजना कार्य व लघु शोध प्रबंध आदि का मूल्यांकन विश्वविद्यालय की अन्य परीक्षाओं की भाँति ही किये जायेंगे।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि परियोजना कार्य व लघु शोध प्रबंध आदि का मूल्यांकन प्रचलित अध्यादेश के प्रावधानानुसार किया जाय।

विषय क्र-03. **Regarding Facilitating admission of deserving and eligible candidates facing financial constraint. (MODALITIES A PROPOSAL)**

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में अजा/अजजा प्रकोष्ठ से परीक्षण कराकर प्रकरण आगामी बैठक तक प्रस्तुत किया जाय।



विषय क 0-04.

श्री कुशल देव मृताप सिंह, प्री-पीएच.डी. शोधार्थी पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग का परीक्षा परिणाम घोषित करने विषयक।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अध्यादेश के प्रावधानानुसार कार्यवाही किया जाय।

विषय क 0-05.

विश्वविद्यालय में हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के संबंध में विचार। विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अंकित किया कि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने संबंधी निर्देश प्राप्त हुआ है। इस प्रकरण के संबंध में उचित कार्यवाही करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी पत्र प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन कार्य हो रहा है और विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्यादेशों के संबंध में युझाव प्रस्तुत करने हेतु समिति का गठन हुआ है।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण के संबंध में भी विचार कर अपना प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत करने हेतु समिति को प्रकरण प्रेषित किया जाय। निर्णय से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अवगत कराया जाय।

विषय क 0-06.

प्रवेश सूचना 2014-15 की अंतिम तिथि के परिवर्तन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह अनुभव किया कि विश्वविद्यालय में संचालित 30 पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित संख्या में आवेदन नहीं आये हैं। अतः निर्णय लिया गया कि ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाते हुये तिथि 15.07.2014 करते हुये दिनांक 15.07.2014 तक प्रवेश प्रदान किया जावे।

विषय क 0-07.


विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों की सीट संख्या पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि सीट संख्या यथावत् रखी जावे।

अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई!



कुलपति/अध्यक्ष


Secretary _____ _____

Convener _____ _____
_____ _____
कुलसचिव (कार्यवाहक)